

**लोक शिक्षण संचालनालय**  
**मध्यप्रदेश**

क्र./श.क./सवि./ए/110/2010/1059

भोपाल, दिनांक

11/8/10

:: आदेश ::

म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग के आदेश क्रमांक एफ 1-49/2008/20-1 दिनांक 26.04.08 में उल्लेखित परिपत्र दिनांक 8.11.2005 एवं 21.12.2005 के अनुक्रम में महिला, तथा 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांग अध्यापक संवर्ग के एक निकाय से दूसरे निकाय में उल्लेखित प्रावधानुसार निम्न तालिका के कालम-2 में उल्लेखित अध्यापक संवर्ग के स्वैच्छा से अन्तर्जिला संविलियन तालिका के कालम-5 तथा तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र के आधार पर समान पद सामर्थ्य, विषयमान, तथा वेतनमान के रिक्त पर निम्नलिखित शर्तों की पूर्ति के अध्यापक संविलियन की अनुमति प्रदान की जाती है :-

| क्र. | अध्यापक संवर्ग में कार्यरत कर्मचारी का पूर्ण विवरण                                |                      |                          | कार्यरत एवं संविलियन निकाय का नाम तथा उनके द्वारा जारी की गई अनापत्ति प्रमाण-पत्रों का: जापक क्रमांक एवं दिनांक |  | संविलियन संस्था/ जिले का डाईस कोड |
|------|---|----------------------|--------------------------|---|--|-----------------------------------|
|      | नाम पद एवं कार्यरत संस्था   | यूनिक आइ.डी. क्रमांक | संस्था/ जिले का डाईस कोड | कार्यरत निकाय   | संविलियन निकाय   |                                   |
| 1    | 2   | 3                    | 4                        | 5   | 6  | 7                                 |
| 1    | श्रीमती प्रेमलता सुक्ला<br>अध्यापक<br>शा.मा.वि. लोहभारा<br>जिला बालाघाट           | AD2457               | 234503113<br>02          | जिला पंचायत बालाघाट<br>जिला बालाघाट<br>जा.क्र.3439दि.04.5.10  | जिला पंचायत सिवनी<br>जिला सिवनी<br>जा.क्र.2078दि.17.6.10<br>शा.उ.मा.वि.गोपालगंज    | 234401777<br>08                   |
| 2    | श्रीमती नीलिमा सवना<br>अध्यापक<br>शा.उ.मा.वि. उमरकांट<br>जिला झाबुआ               | DJ3859               | 232420888<br>03          | जिला पंचायत झाबुआ<br>जिला झाबुआ<br>जा.क्र.1374दि.09.6.10  | जिला पंचायत इंदौर<br>जिला इंदौर<br>जा.क्र.7595दि.03.8.10<br>शा.उ.मा.शा. कनाडिया    | 232601777<br>29                   |
| 3    | श्रीमती अर्चना शर्मा<br>सहायक अध्यापक<br>शा.प्रा.शा. मरसेनीबुर्जुंग<br>जिला दतिया |                      |                          | जनपद पंचायत सेवड़ा<br>जिला दतिया<br>जा.क्र.773दि.20.7.10  | नगर पंचायत आलमपुर<br>जिला भिण्ड<br>जा.क्र.408दि.16.7.10<br>शा.क.प्रा.वि. आलमपुर    | 230305167<br>03                   |
| 4    | श्रीमती अभिलाषा जैन<br>अध्यापक<br>शा.मा.वि. लुछगवां<br>जिला पन्ना                 | AT2770               | 231005171<br>03          | जिला पंचायत पन्ना<br>जिला पन्ना<br>जा.क्र.1030दि.14.6.10  | जिला पंचायत इंदौर<br>जिला इंदौर<br>जा.क्र.7405दि.29.7.10<br>शा.मा.वि. मुण्डलानायता | 232605057<br>04                   |
| 5    | श्रीमती किरण विंजवा<br>सहायक अध्यापक<br>शा.प्रा.वि.<br>वासुडियाहातु<br>जिला देवास | 3H2919               | 232304025<br>01          | जनपद पंचायत दागली<br>जिला देवास<br>जा.क्र.5441दि.23.6.10  | जनपद पंचायत इंदौर<br>जिला इंदौर<br>जा.क्र.2155दि.28.6.10<br>शा.मा.वि. जानी         | 232605033<br>02                   |


संविलियन की शर्तें :-

- यह अनुमति तालिका के कालम-6 में उल्लेखित निकाय में संविलियन के लिये मान्य होगी।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित उचित अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को उसी वर्ग एवं उसी विषय तथा वेतनमान के पद का समन्वयन प्राप्त हो ही तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय में संविलियन किया जायेगा।
- तालिका के कालम-2 में वर्णित उचित अध्यापक/सहायक अध्यापक का व्यक्तिगत दायित्व होगा कि वे तालिका के कालम-6 में वर्णित निकाय द्वारा संविलियन संबंधी पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही आदेश प्राप्त कर कार्यरत निकाय में कार्यरत हो सकेंगे।






4. तालिका के कालम-6 में अंकित निकाय द्वारा पदांकन आदेश जारी होने के पश्चात ही तालिका के कालम-5 में अंकित निकाय द्वारा तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त किया जाए। संविलियन आदेश जारी होने के पूर्व वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक को कार्यमुक्त न किया जाए।
5. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक जिले में कार्यरत हैं तथा उसके नियुक्ति आदेश की वेद्यता तथा विकलांग प्रकरण होने की स्थिति में 40 प्रतिशत से अधिक विकलांगता के मूल प्रमाण पत्र से मिलान करने की पुष्टि उपरांत ही संविलियन आदेश प्रभावशील होगा।
6. संविलियन किये जा रहे तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता तालिका के कालम-6 में वर्णित संविलियन निकाय के वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक की वरिष्ठता सूची के कर्मचारियों में सबसे नीचे माना होगी।
7. वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक के संविलियन प्रकरणों के संबंध में स्वीकृत रिक्त पद सीधी भर्ती का है इसकी पुष्टि जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन की अनुमति का यह आदेश मान्य होगा।
8. शिक्षाकर्मियों का अध्यापक संवर्ग में संविलियन होने एवं संविदा शाला शिक्षक की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति होने की पुष्टि संबंधित निकाय/जिला शिक्षा अधिकारी से कराने के उपरांत ही संविलियन मान्य किया जावे।
9. तालिका के कालम-2 में वर्णित वरिष्ठ अध्यापक/अध्यापक/सहायक अध्यापक के विरुद्ध कोई विभागीय जांच/न्यायालयीन प्रकरण/आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध होने अथवा उक्त शर्तों की पूर्ति न होने पर यह आदेश स्वयमेव निरस्त माना जावेगा।
10. वर्ष 2001 की भर्ती नियामों के तहत नियुक्ति संविदा शाला शिक्षकों की अध्यापक संवर्ग में नियुक्ति माननीय सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन सिविल अपील क्रमांक 3276/2001 एवं अन्य सिविल अपील में पारित निर्णय के अध्ययन की गई है। अतः उक्त संविलियन की कार्यवाही में भी यह शर्त लागू होगी।
11. तालिका के कालम-5 एवं 6 में अंकित निकायों द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण-पत्र जाचक क्रमांक एवं दिनांक की पुष्टि संबंधित निकाय द्वारा कार्यालयीन अभिलेख से पुष्टि सुनिश्चित करने के उपरांत ही आदेश प्रभावशील होगा।  
"आयुक्त द्वारा अनुमोदित"

  
11/8/10  
उप संचालक

लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश  
भोपाल, दिनांक 11/8/10

पृष्ठा.क्र./शि.क./ए/संवि./110/2010/1060  
प्रतिलिपि :-

1. निज सचिव, मा. मंत्री जी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय भोपाल।
3. आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग, मध्य प्रदेश भोपाल।
4. संबंधित कलेक्टर, मध्य प्रदेश।
5. संबंधित आयुक्त, नगर निगम मध्य प्रदेश।
6. संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला-पंचायत, मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपके जिले से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
7. संबंधित जनपद पंचायत, मध्य प्रदेश की भेजकर लेख है कि आपके जनपद से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
8. संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि आपकी निकाय से संबंधित आवेदकों के आवश्यक अभिलेखों/उपरोक्त शर्तों की पुष्टि के उपरांत ही उन्हें कार्यमुक्त/कार्यभार ग्रहण करावें।
9. संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मध्य प्रदेश।
10. संबंधित संकुल प्राचार्य को ओर सूचनार्थ तथा आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. संबंधित की ओर सूचनार्थ।

  
उप संचालक  
लोक शिक्षण, मध्य प्रदेश  
भोपाल